

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता तकसीम
डिक्री

दिनांक :- 13/02/2026

वादी की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरुका अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री हरमनदीप सिंह बराड़ अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए इकबाल दावा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है:-

चक 4 एल. के. एस ए के खाता संख्या 11/94 के मु.न. 5 के प.न. 22/271 के किला न. 17 ता 25 प.न. 22/272 के मु.न. 18 के किला न. 3, 4, 5/1/.228, 5/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025, 7, 8, 9/1/.038 की 3.833 हैक्, नहरी मय गैर खाला में जगसीर सिंह पुत्र बन्ता सिंह का 1095/7666 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जगसीर सिंह का नाम कलमजन किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 13/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(उमा मित्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड पीलीबंगा

